

हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव कार्यालय
मन्त्रीमण्डल शाखा

विषय:- मंत्रिपरिषद् के विचार के लिये ज्ञापन तैयार/प्रस्तुत करने बारे हिदायतें ।

.....00.....

क्या सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, कृपया उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे ?

2. मंत्रिपरिषद् के सम्मुख ज्ञापन प्रस्तुत करने की समय सीमा बारे हिदायतें दिनांक 22 अगस्त 2014 को जारी की गई हैं, जिनके अनुसार मंत्रिपरिषद् की बैठक से 72 घण्टे पहले ज्ञापन मन्त्रीमण्डल शाखा में प्राप्त हो जाएं तथा 2 दिन पहले मंत्रिपरिषद् के सदस्यों/सचिव, राज्यपाल को भिजवाए जायें ।

3. कई बार यह देखने में आता है कि प्रशासकीय सचिवों द्वारा अपने विभाग से सम्बन्धित ज्ञापन समय रहते मन्त्रीमण्डल शाखा को नहीं भिजवाए जाते परंतु अंतिम दिन उन्हें एंजेडा में शामिल करवाने का अनुरोध किया जाता है । समय के अभाव के कारण मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को ऐसे ज्ञापनों को पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है ।

4. अतः आपसे अनुरोध है कि ज्ञापन प्रस्तुत करने की समय सीमा का दृढ़ता से पालन किया जाये और भविष्य में केवल ऐसे ज्ञापन ही अंतिम दिन मन्त्रीमण्डल शाखा में मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ भिजवाए जायें, जो अति आवश्यक एवं तिथिबद्ध हों । ऐसे सभी ज्ञापनों को प्रशासकीय सचिव अपने स्तर पर मुख्य सचिव महोदय से लिखित में अनुमोदित करवाने का कष्ट करें और तत्पश्चात् ही ज्ञापन मन्त्रीमण्डल शाखा को भिजवाए जाएं ।

18/02/24
अधीक्षक, मन्त्रीमण्डल शाखा 9/2/24.
8

सेवा में,

✓ सभी प्रशासकीय सचिव,
हरियाणा सरकार ।

अशा0 क्रमांक 10/11/2011-2 कैबिनेट

दिनांक 09.02.2024.